Annex-C

पत्रांक–5 / वि1–06 / 2009—1188—/
झारखण्ड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग

संकल्प

विषयः— झारखण्ड राज्य के विश्वविद्यालयों / अंगीभूत महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों एवं पदाधिकारियों को UGC पैकेज के अनुरुप छठा पुनरीक्षित वेतनमान एवं सेवा शर्त की स्वीकृति।

भारत सरकार के पत्रांक एफ–1-32/2006U-II/U, I(i) दिनांक 31.12.2008 तथा पत्रांक–F.–1-32/2006U-II/U, I(ii) दिनांक 31.12.2008 के द्वारा विश्वविद्यालयों एवं स्नातक महाविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों के लिए दिनांक 01.01.2006 से विश्वविद्यालय अनुदान अयोग द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने के संबंध में मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है जिसमें दिनांक 01.01.2006 से दिनांक–31.03.2010 तक वेतनान्तर पर होने वाले अतिरिक्त व्यय–भार का 80 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा वहन करने का उल्लेख किया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक अन्य पत्रांक एफ–3-1/2009 UI दिनांक--04.06.2009 के द्वारा वेतन पुनरीक्षण के प्रसंग में फिटमेन्ट टेबुल की प्रतियाँ उपलब्ध करायी गयी है। UGC REGULATIONS ON MINIMUM QUALIFICATIONS FOR APPOINTMENT OF TEACHERS AND OTHER ACADEMIC STAFF IN UNIVERSITIES AND COLLEGES AND MEASURES FOR THE MAINTENANCE OF STANDARDS IN HIGHER EDUCATION, 2010, विषय पर यू0जी0सी0 के पत्रांक–F.3-1/2009, दिनांक–30.06.2010 के द्वारा एक विस्तृत निदेश निर्गत है। यह Regulation MHRD के पत्रांक–F.23-7/2008-IFD, dated-23 october, 2008, एवं पत्रांक– F.1-1-2008-IC, dated-30 August, 2008 एवं MHRD के Notification No.-1-32/2006-U.II/U.I(1) dated-31, December, 2008, के क्रम में एवं यू0जी0सी0 के Regulation No. bv F.3-1/2000(PS) dated 4th April 2000, को अवक्रमित करते हुए निर्गत किया गया है (यू0जी0सी0 के दिनांक– 30.06.2010 के रेगुलेशन की प्रति अनुलग्नक–III पर संलग्न) । विभागीय पत्रांक 1271, दिनांक 10.10.2009, यू0जी0सी0 एवं भारत सरकार के उपर्युक्त पत्रों एवं वेतन पुनरीक्षण हेतु गठित समिति (देवाशीष गुप्ता समिति) की अनुशंसाओं पर पूर्ण विचारोपरांत झारखण्ड राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 2000 (यथा संशोधित) की धारा 35 (II) के परन्तुक में अंकित प्रावधानों के अधीन राज्य के पारंपरिक विश्वविद्यालयों एवं उनके अधीनस्थ स्नातक स्तरीय अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों सहित) में कार्यरत शिक्षकों एवं कुलपति, प्रतिकुलपति, कुल सचिव, वित्त पदाधिकारी, परीक्षा नियंत्रक तथा विश्वविद्यालयों के अन्य पदाधिकारियों के वेतनमान का पुनरीक्षण निम्नांकित शर्त्तों एवं बंधेजों के अधीन दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से लागू करने का निर्णय लिया गया है :—

(1) विश्वविद्यालय एवं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा अन्य पदाधिकारियों के लिए प्रस्तावित पुनरीक्षित वेतनमान, नियुक्ति एवं प्रोन्नति सहित अन्य सभी शर्त्तों एवं बन्धेजों के साथ, सेवानिवृत्ति की आयु सीमा को छोड़कर, दिनांक 01.01.2006 के प्रभाव से लागू होगा ।

(2) विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों तथा अन्य पदाधिकारियों को पुनरीक्षित वेतन लागू होने की स्थिति में 01.04.2010 से सम्पूर्ण व्ययभार का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। उक्त तिथि के पूर्व के वेतनमान का व्ययभार तभी वहन किया जायेगा जब केन्द्र सरकार से व्यय की राशि का 80% केन्द्रांश प्राप्त हो जायेगा।

(3) विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के व्याख्यताओं / रीडर को क्रमशः सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर के नाम से जाना जायेगा; परन्तु प्रोफेसर के पदनाम में कोई परिवर्त्तन नहीं होगा।

(4) विश्वविद्यालय अनुदान अयोग के द्वारा समय–समय पर निधारित विनियमों एवं शैक्षणिक शर्त्तों, यथा, पी0एच0डी0 एवं अन्य शैक्षणिक शर्त्तों को धारित नहीं करने वाले व्यक्ति प्रोफेसर/रीडर (एसोसिएट प्रोफेसर) के पद पर नियुक्ति प्रोन्नति या पदनामित किये जाने हेतु योग्य नहीं होंगे।

(5) विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों का वेतन निर्धारण उनके पदनाम के अनुरुप दो वेतन बैंडों 15600–39100 एवं 37400–67000 ₹0 के उचित एकेडमिक ग्रेड पे (संक्षेप में ए0जी0पी0) के साथ निर्धारित किया जाएगा। प्रत्येक वेतन बैंड में विभिन्न स्तरों पर एकेडमिक ग्रेड पे पर शिक्षकों एवं अन्य समकक्षी कैडर वालों का इस योजना के तहत अन्य सेवा शर्त्तों के प्रावधानों के अनुरुप उनको अपने पेशा/वृत्ति में आगे बढ़ने का गुणात्मक सुअवसर प्राप्त होगा।

(6) सहायक प्रोफेसर के पद पर नई नियुक्ति के लिए नेट (नेशनल इलिजीविलीटी टेस्ट) उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा, परन्तु यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित मापदण्डों के तहत विश्वविद्यालयों द्वारा अंगीकृत (एडोप्टेड) शर्त्तों के अधीन पी0एच0डी0 डिग्री प्राप्त व्यक्तियों को नेट पास किये जाने की अर्हता में छूट होगी। वैसे स्नातकोत्तर प्रोग्राम जिसमें नेट का प्रावधान नहीं है, नेट अर्हता अनिवार्य नहीं होगी। सभी नियुक्तियाँ झारखण्ड लोक सेवा आयोग द्वारा की जायेगी।

(7) विभिन्न कोटि के शिक्षकों, यथा, विश्वविद्यालय/महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर/एसोसिएट प्रोफेसर/प्रोफेसर के पदो के लिए निम्न सारणी के अनुसार पुनरीक्षित वेतनमान (यू0जी0सी0 द्वारा निर्धारित सेवा शर्त्त सहित) की स्वीकृति दी जाती है:–

Sl. No.	Existing Status (1.1.96)		Revised Status (1.1.06)		AGP/GP	Remarks
	Present Designation	Pay Scale	Revised Designation	Pay Band		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Lecturer	8000-13500	Asst. Prof.	15600-39100	i) 6000 ii) 7000 iii) 7000 iv) 7000	i) New appointment or in pre-revised scale of 8000-15000 ii) Asst. Professor with a 4 year service and possessing Ph.D. degree. iii) Asst. Professor with M.Phil/P.G. degree in professional course approved by relevent statuary body such as LLM, M.Tech. with 5 year services. iv) Asst. Professor without Ph.D./M.Phil/PG professonal course with 6 year experience.
2.	Lecturer (Sr. Scale)	10000-15200	Asst. Prof.	15600-39100	7000	
3	--	--	Asst. Prof.	15600-39100	8000	Asst. professor after 5 year services with AGP 7000 if fulfills the requirement laid down by UGC.
4. A.	Reader/ Lecturer (Selection Grade)	12000-18300	Reader/ Lecturer (Selection Grade)	15600-39100	i) 8000	i) For Readers/Lecturers (Selection Grade) who have not completed 3 years on 1.1.06.
B.	Reader/ Lecturer (Selection Grade)	12000-18300	Associate Prof.	37400-67000	ii) 9000	ii) New appointment or for Readers/Lecturer (Selection Grade) who have completed 3 years in pay scale of 12000 – 18300 on 01.01.06.
5.	Professor	16400-22400	Professor	37400-67000	i) 10000	i) Professors as per UGC norms and pay of Direct Recruitees will not be fixed below 43000 with AGP 10000.

					ii) 12000	i) On completion of 10 years or of in AGP of 10000, subject to other conditions laid down by UGC only 10% of the post of professor in this AGP.
6.	V.C.	25000 fixed	V.C.	75000 fixed		Special Allowance Rs. 5000.
7.	Pro V.C.	16400-22400	Pro. V.C.	37400-67000	10000	Special Allowance Rs. 4000. Pay, AGP and special allowance shall not exceed Rs. 80000.
8.	Registrar	16400-22400	Registrar	37400-67000	10000	Existing qualification for recruitment shall continue with others as laid down by UGC & as per letter no. 1-32/2006-U.II/U.I(ii) dated 31st December 2008.
9.	Finance Officer	16400-22400	Finance Officer	37400-67000	10000	Existing qualification for recruitment shall continue with others as laid down by UGC & as per letter no. 1-32/2006-U.II/U.I(ii) dated 31st December 2008.
10.	Controller of Examination	16400-22400	Controller of Examination	37400-67000	10000	Existing qualification for recruitment shall continue with others as laid down by UGC & as per letter no. 1-32/2006-U.II/U.I(ii) dated 31st December 2008.
11.	Deputy Registrar/Deputy Finance Officer/Deputy Controller of Examination	12000-18300	Deputy Registrar/Deputy Finance Officer/Deputy Controller of Examination	15600-39100	i) 7600	i) Incumbents ii) On completion of five years on 01.01.2006 in the scale of 12000-18300 to be placed in the Pay Band of 37400-67000 with AGP of Rs. 8700. Qualification for recruitment as laid down by UGC.
12.	Assistant Registrar/Assistant Finance Officer/Assistant Controller of Examination	8000-13500	Assistant Registrar/ Assistant Finance Officer/Assistant Controller of Examination	15600-39100	i) 5400 ii) 6600	i) Incumbents ii) On completion of Eight years of service within Pay Band of 15600-39100, subject to other prescribed conditions.
13	Principal (UG College & PG College)		Principal	37400-67000	10000	i) Special Allowance Rs. 2000 for Principal in UG College ii) Special Allowance Rs. 3000 for Principal in PG College.
14.	Asst. Librarian/College Librarian	8000-13500	Asst. Librarian/College Librarian	15600-39100	i) 6000 ii) 6000 iii) 7000 iv) 7000 v) 7000	i) Incumbents ii) For Direct Recruitment, eligibility / Academic Qualification will be same as laid down by UGC. iii) If Ph.D. in library science at entry level and 4 year services with AGP 6000 iv) If M.Phil. in library science at enty level 5 year services with AGP 6000. v) Non Ph.D/M.Phil after 6 year service with AGP 6000
15.	Asst. Librarian (Sr. Scale)/College Librarian (Sr. Scale)	10000-15200	Asst. Librarian (Sr. Scale)/ College Librarian (Sr. Scale)	15600-39100	7000	

16.	Deputy Lib./Assistant Librarian (Selection Gr.)/ College Lib (Selection Gr.)	12000-18300	Deputy Lib./Assistant Librarian (Selection Gr.)/ College Lib (Selection Gr.)	15600-39100	8000	i) ncumbents and direct recurutees ii) On completion of three years in 15600-39100 to be placed in pay band of 37400-67000 with AGP Rs. 9000. Subject to fulfilling conditions as laid down by UGC.
17.	Librarian (University)	16400-22400	Librarian (University)	37400-67000	10000	The existing condition of eligibility & academic qualification prescribed by the UGC shall continue to be applicable for appointment.
18.	Asst. Director (Phy. Edu) College DPE Sr. Scale	8000-13500	Asst. Director (Phy. Edu)	15600-39100	6000	i) Asst. Director (Phy. Edu) Sr,. Scale-College DPE Sr. Scale with Ph.D (Physical Eduation) at entry level in AGP 6000 will move to AGP 7000 after completion of 4 years with AGP 6000. ii) Asst. Director (Phy. Edu) Sr. Scale-College DPE Sr. Scale with M.Phil (Physical Education) at entry level in AGP 6000 will move to AGP 7000 after completion of 5 years with AGP 6000. iii) Asst. Director (Phy. Edu) Sr. Scale - College DPE Sr. Scale without Ph.D./M.Phil (Physical Education) at entry level in AGP 6000 will move to AGP 7000 after completion of 4 years with AGP 6000.
19.	Dy. Dir (PE)/ College Dir (PE) & Asst. Dir(PE) Selection Gr.	10000-15200	Dy. Dir (PE)/ College Dir (PE) & Asst. Dir(PE) Selection Gr.	15600-39100	8000	i) Direct Recruitment ii Benefit will be admissible as per promotion Rule.
20.	Director (PE) University		Director (PE) University	37400-67000	10000	Existing condition of eligibility/Qualification shall continue as laid down by UGC.

(8) शिक्षकों एवं पदाधिकारियों को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ भारत सरकार के पत्रांक–1-32/2006-U.II/U.I(ii) dated 31st December 2008 एवं पत्रांक–1-32/2006-U.II/U.I(i) dated 31st December 2008 में अहर्त्ता संबंधी शर्त्तों की पूर्ति के आधार पर ही देय होगा।

(9) वेतनवृद्धि

(i) प्रत्येक वार्षिक वेतनवृद्धि की दर कुल वेतन से संबद्ध पे बैंड एवं ए0जी0पी0 के योग का 3 प्रतिशत राशि के समतुल्य अनुमान्य किया जायगा।

(ii) प्रत्येक अग्रिम वेतन वृद्धि की दर भी कुल वेतन से संबद्ध पे बैंड एवं ए0जी0पी0 के योग का 3 प्रतिशत के समतुल्य अनुमान्य किया जायगा।

(iii) इस योजना के तहत् निम्न वेतनमान करसे उच्च वेतनमान में प्रोन्नति हेतु कोई अतिरिक्त वेतनवृद्धि का प्रावधान नहीं किया जायगा।

(10) अन्य सेवा शर्त्त तथा भत्ते

(i) महंगाई भत्तों की अनुमान्यता राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर अधिसूचित दर से दिया जायगा।

(ii) मकान किराया भत्ता, शहरी परिवहन भत्ता, यात्रा भत्ता ओर चिकित्सा भत्ता राज्य कर्मियों के समान संकल्प निर्गत होने की तिथि से अनुमान्य किया जायगा।

(11) शैक्षणिक अवकाश

विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के शिक्षकों को, जिन्होने एम0फिल/पी0एच0डी0 उपाधि हासिल नहीं किया है, उन्हें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा किए जा रहे संशोधित नियमों के अनुरुप एम0फिल0/पी0एच0डी0 की उपाधि प्राप्त करने के लिए शैक्षणिक अवकाश स्वीकृत किया जायगा।

(12) योजना को लागू करने हेतु वांछनीय शर्ते –

(i) यू0जी0सी0 द्वारा अनुशंसित पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ उन्हीं शिक्षकों को देय होगा जो यू0जी0सी0 मानक के अनुरुप योग्यता एवं अर्हता रखते हैं और जिनकी नियुक्ति, स्वीकृत पदों पर, विहित प्रक्रियाओं के अधीन विधिवत् रुप से की गई हो।

(ii) जिन शिक्षकों की नियुक्ति मात्र इंटर की पढ़ाई के लिये की गई हो, उन्हें पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ देय नहीं होगा; परन्तु जिन शिक्षकों की नियुक्ति डिग्री स्तरीय पढ़ाई के लिये स्वीकृत पदों के विरुद्ध आयोग द्वारा गठित उसी पैनल से की गई हो जिससे अन्य डिग्री स्तरीय शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, परन्तु जिनसे इंटर स्तरीय कक्षाओं की पढ़ाई कराई जाती है तो ऐसे शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ देय होगा, परन्तु ऐसे शिक्षकों को शीघ्रताशीघ्र इन्टर की कक्षाओं से हटाकर डिग्री स्तरीय पढ़ाई के लिये चिन्हित किया जायेग। छठा पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ उन्हीं अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षकों को देय होगा जहॉ डिग्री से इंटर स्तर की शिक्षण व्यवस्था को अलग कर दिया गया है; परन्तु जिन महाविद्यालयों में इंटर की शिक्षण व्यवस्था आज तक अलग नहीं हो पायी है उन्हें 31 मार्च 2011 तक यह कार्य पूर्ण कर लेने का अवसर दिया जायेगा और तत्काल उक्त अवधि तक पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ अस्थायी रुप में दिया जायेगा। निर्धारित अवधि में प्रक्रिया पूर्ण नहीं होने की स्थिति में पुनरीक्षित वेतनमान का लाभ प्रसंगाधीन विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के सभी प्रशासी पदाधिकारियों के लिए तबतक बन्द कर दिया जायेगा, जबतक कि वे यह कार्य पूरा नहीं कर लेते हैं।

(iii) विभागीय पत्रांक–356, दिनांक–13.11.2001, जिसके द्वारा पंचम पुनरीक्षित वेतनमान लागू किया किया गया था, की कंडिका तीन में यह व्यवस्था की गई थी कि पूर्व के सभी परिनियम एवं विश्वविद्यालय अधिनियम को यू0जी0सी0 के मानकों के अनुरुप संशोधित किया जायेगा। पंचम पुनरीक्षित वेतनमान लागू करने के संबंध में निर्गत विभागीय पत्र सं0–356, दिनांक–13.11.2001, में ऐसे गैर यू0जी0सी0 योग्यता वाले शिक्षकों को पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन निर्धारण का लाभ इस शर्त के साथ दिया गया था कि उन्हें वार्षिक वेतनवृद्धि एवं अगली प्रोन्नति तब–तक देय नहीं होगी जब–तक कि वे यू0जी0सी0 मानक के अनुरुप अपनी योग्यता एवं अर्हता प्राप्त नहीं कर लेते। विश्वविद्यालय/महाविद्यालय के ऐसे शिक्षक जो यू0जी0सी0 मानक के अनुसार योग्यता नहीं रखते है, परन्तु जिन्हें परिनियमों के आधार पर कालबद्ध प्रोन्नति दे दी गई है, ऐसे शिक्षक पुनरीक्षित वेतनमान में वेतन प्राप्त कर सकते है, परन्तु वेतन निर्धारण के क्रम में उन्हें प्रतिस्थानी वेतन के मूल वेतन का ही लाभ देय होगा तथा ग्रेड पे मिला कर मिलने वाले कुल राशि का अन्तर "पे प्रोटेक्शन" के रुप में प्राप्त होगा तथा जबतक वे यू0जी0सी0 मानक के अनुरुप

(4)

अर्हता प्राप्त नहीं कर लेते है तब–तक उन्हें वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ देय नहीं होगा।

(iv) शिक्षकों का वेतन निर्धारण करने के पूर्व विश्वविद्यालयों / महाविद्यालयों को अपने अधीनस्थ कार्यरत वैसे शिक्षकों, जो यू0जी0सी0 मानक के अनुसार योग्यता नहीं रखते है परन्तु जिन्होंने राज्य परिनियमों के आधार पर प्रोन्नति प्राप्त कर लिया है की पहचान कर लेनी होगी। इस हेतु राज्य सरकार के पदाधिकारियों एवं विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की एक समिति गठित कर ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करने की कार्रवाई की जायेगी। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि शिक्षकों के योग्यता के अनुसार ही शिक्षण कार्य लिया जाय।

(v) नव अंगीभूत महाविद्यालयों के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय में शिक्षकों की सेवा के संबंध में विचाराधीन सिविल अपील संख्या–6098 / 97 में दिनांक 12.10.2004 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में वैसे शिक्षक का वेतन पुनरीक्षण नहीं किया जायेगा, जिनका नाम माननीय न्यायमूर्ति एस.सी. अग्रवाल कमीशन के प्रतिवेदन में आर०–II तथा एन०आर० के रूप में प्रतिवेदित है या जिनके सामंजन किये जाने की अनुशंसा उक्त प्रतिवेदन में नहीं की गयी है । अतः न्याय निर्णय के अनुपालन तथा उच्च शिक्षा की गुणवत्ता बनाये रखने हेतु यू०जी०सी० द्वारा निर्धारित मापदंडों के अनुरूप आवश्यक योग्यता न रखने वाले शिक्षकों की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई की जायेगी ।

(vi) राज्य के विश्वविद्यालयों के अधीनस्थ अंगीभूत, राजकीय तथा घाटानुदानित महाविद्यालयों के उपर्युक्त शिक्षकों के रिक्त पदों पर तब तक कोई नई नियुक्ति नहीं की जायगी, जबतक इन्टरमीडिएट शिक्षा को डिग्री शिक्षा से अलग किये जाने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है ।

(vii) कुछ अंगीभूत महाविद्यालयों में कतिपय विषयों में शिक्षकों के स्वीकृत पदों की संख्या की तुलना में छात्रों की संख्या नगण्य है अतः शिक्षकों के कार्यबल का पूर्ण उपयोग नहीं हो पा रहा है । शिक्षणहित में शिक्षकों के कार्यबल तथा कार्यक्षमता का अधिकतम उपयोग किये जाने की अनिवार्यता को दृष्टिपथ में रखते हुए जिन महाविद्यालयों मे निर्धारित मापदंड से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं, तथा जिनमें शिक्षकों की तुलना में छात्रों की संख्या नगण्य है, वैसे महाविद्यालयों के युक्तिसंगत एकीकरण (Unification) / विलयन (Amalgamation) अथवा बन्द करने की आवश्यकता है। उक्त संबंध में समीक्षा के पश्चात् जिन स्नातक या स्नातकोत्तर विभागों / महाविद्यालयों के विभागों में सामान्यतया 10 से कम या नगण्य छात्र रहें हैं, उक्त विषयों की पढ़ाई अन्य निकटवर्ती महाविद्यालयों के विभागों के साथ एकीकृत किया जायेगा।

(viii) इस युक्तिसंगत एकीकरण / विलयन की प्रक्रिया शीघ्र पूरा कर लिए जाने की अनिवार्यता के मद्देनजर जबतक रेशनलाइजेशन की कार्रवाई पूरी नहीं होती है तबतक विश्वविद्यालयों के विभागों / महाविद्यालयों में प्रोफेसर / वरीय वेतनमान में प्रोफेसर के नये पद स्वीकृत नहीं किये जाएंगे

(13) प्रतिस्थानी वेतनमान यू0जी0सी0 के दिनांक–30.06.2010 के रेगुलेशन के अनुलग्नकों के अनुरुप होगा।

(14) भारत सरकार के पत्रों एवं यू0जी0सी0 के रेगुलेशन में अंकित सभी शर्तो एवं बंधेजो को प्रभावी बनाने के लिए जहॉ कही आवश्यकता हो अधिनियम में आवश्यक संशोधन करने एवं संबंधित परिनियमों को निरस्त करने की कार्रवाई की जायेगी।

(15) भारत सरकार द्वारा दिनांक–01.01.2006 के प्रभाव से स्नातक महाविद्यालयों तथा विश्वविद्यालयों में यू0जी0सी0 वेतनमान प्राप्त करने वाले शिक्षकों के लिए यू0जी0सी0 रेगुलेशन में निर्धारित प्रोन्नति संबंधी योजना के अतिरिक्त अन्य कोई भी राज्य प्रायोजित

(16) छठा यू0जी0सी0 वेतनमान लागू करने के पूर्व 31.12.2008 तक कैरियर एडभांसमेंट स्कीम के तहत जो भी शिक्षक निर्धारित यू0जी0सी0 मानक के अनुरुप योग्यता एवं अर्हता प्राप्त कर चुके होंगे उन्हें इस योजना के तहत 31. 2.2008 तक तक प्रोन्नति का लाभ दिया जा सकेगा। वर्ष 2008 के बाद यू0जी0सी0 के नये रेग्यूलेशन 30.06.2010 के तहत हीं शिक्षकों को प्रोन्नति का लाभ प्राप्त होगा।

(17) वेतन निर्धारण की प्रक्रिया के संबंध में विभाग द्वारा वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर अलग से दिशा निर्देश जारी किया जायेगा।

(18) शिक्षकों की सेवा निवृति की वर्तमान आयु सीमा यथावत 62 वर्ष ही बनी रहेगी।

(19) विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय के सेवा निवृत पेंशनधारी शिक्षकों के संबंध में भी 01.01.2006 से यू0जी0सी0 द्वारा अनुशंसित पेंशन वैचारिक रुप से लागू किया जायेगा, परन्तु वास्तविक लाभ 01.04.2010 से देय होगा।

20.11.10

(मृदुला सिन्हा)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक : 5/वि1–06/2009 – 1188 रॉची, दिनांक : 20-11-10

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, रॉची को झारखण्ड गजट में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि इसकी 1000 (एक हजार) मुद्रित प्रतियॉ इस विभाग को उपलब्ध कराई जाय।

20.11.10

(मृदुला सिन्हा)
सरकार के सचिव ।

ज्ञापांक : 5/वि1–06/2009 – 1188 रॉची, दिनांक : 20-11-10

प्रतिलिपि :– (एपेन्डिक्स सहित), प्रधान सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, झारखण्ड/ सचिव, वित्त विभाग, झारखण्ड/निदेशक (उच्च शिक्षा), मानव संसाधन विकास विभाग, झारखण्ड, रॉची/कोषागार पदाधिकारी, प्रोजेक्ट भवन, धुर्वा, रॉची/कुलसचिव, रॉची विश्वविद्यालय, रॉची/विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग/सिद्धो– कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका/नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू/ कोल्हान विश्वविद्यालय, चाईबासा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

20.11.10

(मृदुला सिन्हा)
सरकार के सचिव ।